अधिहरण वाद संख्या-85/2018-2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री लालु कुमार यादव, पिता-महेन्द्र यादव,
सा0-फेना बेलाही, वार्ड नं0-13, थाना-बथनाहा ओ0पी0,
जिला-अररिया .... विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1679/हि0शा0, दिनांक 03.10.2018) के आलोक में जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड संख्या-72/18, दिनांक 19.03.2018, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38F-3779 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड संख्या-72/18, दिनांक 19.03.2018 के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त-1. श्री लालु कुमार यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-फेना बेलाही, वार्ड नं0-13, थाना-बथनाहा ओ0पी0, जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभारत खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निधारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि ओ0पी0 अध्यक्ष, बथनाहा ओ0पी0 दिनांक 19.03.2018 को समय 10.00 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल रंग का टी0भी0एस0 मोटर साईकिल से फेना बेलाही से भदेश्वर नहर की तरफ शराब लेकर आ रहा है। मोटर साईकिल सवार भदेश्वर नहर पर जैसे ही पहुँचा पुलिस को अचानक देखते ही काफी तेजी अपने मोटर साईकिल को मोड़ कर भागने का प्रयास किया। सन्देह होने पर सशस्त्र बलों द्वारा खदेड़ कर भाग रहे मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को पकड़ा गया। हल्ला सुनकर आस- पास के लोग भी आ गये। दो साक्षी कामेश्वर यादव, पिता-रामशरण यादव, सा0-पोसदाहा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया 2. राजीव कुमार यादव, पिता-गणेश यादव, सा0-पोसदाहा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के समक्ष पकड़ाये गये व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम लालु कुमार यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-फेना बेलाही, वार्ड नं0-13, थाना-बथनाहा ओ0पी0, जिला-अररिया बताया। पकड़ाये गये मोटर साईकिल टी0भी0एस0 स्पोट पंजीयन संख्या-BR-38F-3779 में दो प्लास्टिक के झोला के अंदर चौबीस पीस काला एवं उजला रंग के पन्नी में 500-500 लीटर चुलाई शराब देशी शराब बरामद हुआ। बरामद मोटर साईकिल पर लदा चुलाई देशी शराब के संबंध में पूछताछ एवं कागजात की मांग किया गया तो उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद देशी शराब एवं चुलाई देशी शराब को विधिवत् को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरुद्ध जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड संख्या-72/18, दिनांक 19.03.2018, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है तदनुसार जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड संख्या-72/18, दिनांक 19.03.2018 में जब्त टी0भी0एस0 स्पोट मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38F-3779 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1076/विधि, अररिया, दिनांक 31.5/2019 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। न्यायालय, जिला दंडाधिकारी, अररिया (बिहार) समाहर्त्ता, अररिया 25.5.2019	